



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1939 (श०)

(सं० पटना ७७) पटना, बृहस्पतिवार, 25 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

25 जनवरी 2018

एस०ओ० 138, दिनांक 25 जनवरी 2018—बिहार गजट (असाधारण अंक) में संख्या 48 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 123, दिनांक 23 जनवरी, 2018, के हिन्दी पाठ में एतद् द्वारा निम्नलिखित भूल सुधार किया जाता हैः—

- क्रम सं० 2 के क्रमांक X में अंकित “30 अक्टूबर, 2017”
के स्थान पर—
“23 अक्टूबर, 2017”
पढ़ें।

[(सं०सं०—विक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-255)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

25 जनवरी 2018

एस०ओ० 138, 25 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—विक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-255)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

The 25th January 2018

S.O. 138, dated 25th Junary 2018— The following correction of errors are hereby made in the S.O. 123, dated 23rd January, 2018 published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, Commercial Taxes Department, vide no. 48 dated 23rd January, 2018:-

1. In serial no 2, in no. X
for,
"30 th October, 2017"
read,-
"23 rd October, 2017"

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-255)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 77-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>